पत्रांक–04 / सड़क–01–23 / 2026 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– नगर परिषद्, टिकारी क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु कुल अवशेष राशि ₹27.23981 लाख (सत्ताइस लाख तेईस हजार नौ सौ इक्यासी रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2026–27 में तत्काल व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–130, दिनांक–16.07.2023 द्वारा नगर परिषद्, टिकारी क्षेत्रान्तर्गत जयनन्दन विगहा देवी स्थान से लेकर टिकारी कुर्था मुख्य सड़क तक पथ का सुदृढ़िकरण एवं कालीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹67.93600 लाख (सड़सठ लाख तिरानवे हजार छः सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये तत्काल ₹37.93600 लाख (सैंतीस लाख तिरानवे हजार छः सौ रूपये) मात्र आवंटित किया गया। उक्त योजना का एकरारनामा की राशि ₹65.17581 लाख (पैंसठ लाख सतरह हजार पाँच सौ इक्यासी रूपये) मात्र है। तत्पश्चात् विभागीय राज्यादेश संख्या–301 दिनांक–28.01.2025 द्वारा अवशेष राशि ₹27.23981 लाख (सत्ताइस लाख तेईस हजार नौ सौ इक्यासी रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवंटित किया गया था, जिसकी निकासी कतिपय कारणों से नहीं हो पाई थी, जिसके व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक–63 दिनांक–16.06.2026 द्वारा रद्द कर दी गई है। नगर परिषद्, टिकारी के पत्रांक–406, दिनांक–06.04.2026 द्वारा उक्त योजना हेतु अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही नगर परिषद्, टिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

2. नगर परिषद्, टिकारी द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ–6 में अंकित एकरारनामा की राशि के अनुरूप स्तंभ–8 में अंकित अवशेष राशि ₹27.23981 लाख (सत्ताइस लाख तेईस हजार नौ सौ इक्यासी रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष, 2026–27 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

राशि लाख में

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश संख्या / दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर परिषद्, टिकारी	नगर परिषद्, टिकारी क्षेत्रान्तर्गत जयनन्दन विगहा देवी स्थान से लेकर टिकारी कुर्था मुख्य सड़क तक पथ का सुदृढ़िकरण एवं कालीकरण कार्य।	130/ 16.07.2023	67.93600	65.17581	37.93600	27.23981
			कुल	**67.93600**	**65.17581**	**37.93600**	**27.23981**

अर्थात् ₹27.23981 लाख (सत्ताइस लाख तेईस हजार नौ सौ इक्यासी रूपये) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि राशि ₹27.23981 लाख (सत्ताइस लाख तेईस हजार नौ सौ इक्यासी रूपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–236, दिनांक–09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषद्, टिकारी के PL खाता TKRPLA001, HOA संख्या–00-8448-00-102-0002-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।***

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹27.23981 लाख (सत्ताइस लाख तेईस हजार नौ सौ इक्यासी रूपये) मात्र माँग संख्या– 48, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी नगरों का समेकित विकास, लधु शीर्ष– 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48-2217037890102, विषय शीर्ष–0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार सहित के नियम– 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–61, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/सड़क–01–23/2026 के पृष्ठ सं०–28/टि० पर दिनांक–01.07.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या (e-file)-पथ0नि0/32/2026-SEC_4-UDHD DEPT के Note#07 पर दिनांक–28.10.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/सड़क–01–23/2026 226 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 30/10/26

प्रतिलिपिः–संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, टिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव–सह–व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 04 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।